"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 अक्टूबर 2012— कार्तिक 4, शक 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, हन्समुख आत्मज स्व. श्री दुर्लभ गंडा, उम्र 51 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 1/बी, सड़क न. 2, सेक्टर-4, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के आर. एम. पी. 2 विभाग में सीनियर टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हूं. यह कि श्वेता पटेल (SHWETA PATEL) मेरी पुत्री है जिसका नाम मेरे बी. एस. पी. के सर्विस रिकार्ड में इंग्लिश में स्पेलिंग (SWETA) लिखा है जो गलत है जिसे सुधार कर सही नाम (SHWETA PATEL) लिखे जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब से मेरी पुत्री को श्वेता पटेल (SHWETA PATEL) पिता हन्समुख के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	**नया नाम**
श्वेता पटेल (SWETA PATEL) पिता - श्री हन्समुख निवासी-क्वा. नं. 1/बी, सड़क नं.-2, सेक्टर-4, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	श्वेता पटेल (SHWETA PATEL) पिता - श्री हन्समुख निवासी-क्वा. नं. 1/बी, सड़क नं.-2, सेक्टर-4, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग, ज़िला-दुर्ग (छ. ग.)

दुर्ग, दिनांक 21 सितम्बर 2012

प्ररूप क्रमांक-04

[देखें नियम 5 (1)]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

क्रमांक /प्र. 2/अ. वि. अ./2012.— यत: कि श्री नेतराम अग्रवाल आ. श्री मनोहर लाल अग्रवाल, मैनेजिंग ट्रस्ट निवासी 67 पुराना नेहरूनगर भिलाई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 30-10-2012 को मेरे न्यायालय में विचार किया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	श्री बांके बिहारी चेरिटेबल ट्रस्ट - 67 पुराना नेहरूनगर भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)
2.	चल संपत्ति	:	13,020-90 नगद -30-3-2012 की स्थिति में.
3.	अचल संपत्ति	:	निर्माणाधीन मंदिर भवन-स्थित मोतीलाल नेहरूनगर भिलाई अनुमानित मूल्य 4,86,300-00 दिनांक 31-3-12 की स्थिति में.

संजय कुमार दीवान
पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2012

प्र. क्र./ / ब -113 (1)/ वर्ष 2011-12

क्रमांक /407/अ. वि. अ./ट्रस्ट/2012.— आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक मदन लाल पारेख वल्द स्व. जमनालाल पारेख, निवासी शैलेन्द्र नगर, रायपुर द्वारा " जे. एम. चेरिटेबल ट्रस्ट " सी- 61 फनफेस्टा मैदान के पास शैलेन्द्र नगर रायपुर का छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के माध्यम से दिनांक 16-11-2012 उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	" जे. एम. चेरिटेबल ट्रस्ट " सी-61 फनफेस्टा मैदान के पास शैलेन्द्र नगर, रायपुर (छ. ग.)
2.	चल संपत्ति	:	11,000/- रु. नगद
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 05-10-2012 को जारी.

एस. के. अग्रवाल,
पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक न्यास पंजीयक मोहला, जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

मोहला, दिनांक 3 अक्टूबर 2012

प्ररूप क्रमांक-04

[देखें नियम 5 (1)]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और छ. ग. लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक मोहला जिला राजनांदगांव के समक्ष

क्रमांक 835/अविअ/प्र-1/2012.— यत: कि श्री सुभाषचंद्र खण्डेलवाल पुत्र ओमकार लाल खण्डेलवाल निवासी अं. चौकी में छ. ग. लोकन्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में निर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है, कि कथित आवेदन पत्र 31-10-2012 को बुधवार दिवस अं. चौकी कैम्प पर मेरे न्यायालय में विचार किया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: यां प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	महावीर मंदिर अ. चौकी
2.	चल संपत्ति	:	1. महावीर मंदिर के नाम के. व्ही. पी. 13,000.00 रुपये का पत्र है. 2. मंदिर समिति में 5,325.00 रुपये नगद बैंक खाते में शेष है.

3. 1 नग मुकट चांदी का, 39 ग्राम अनुमानित मूल्य 2000.00 रुपये.
4. 1 नग छत्र चांदी का वजन 66 ग्राम अनुमानित मूल्य 3500.00 रुपये.

3. अचल सपत्ति : 1. ग्राम मेरेगांव प. ह. नं. 12 में खसरा नंबर 103 रकबा 17.00 एकड़ कृषि भूमि है.
2. महावीर मंदिर जो मुख्य मार्ग वार्ड नंबर 15 में स्थित है., न्यास की संपवि है.

एम. एल. रघुवंशी,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं अंबिकापुर जिला-सरगुजा

अंबिकापुर, दिनांक 28 सितम्बर 2012

[छ. ग. सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परिसमापन/2012/907.— पहाड़ी, कोरवा पंजा दरी बुनकर सहकारी संस्था मर्या., पहाड़ चिरगा पंजीयन क्रमांक 11, दिनांक 04-06-1998 को इस कार्यालय के सूचना क्रमांक परिसमापन/2012/839 अंबिकापुर दिनांक 07-09-2012 के द्वारा छ. ग. सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत "कारण बताओ सूचना - पत्र" दिया गया था, निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने के उपरांत भी समिति की ओर से कोई उत्तर/स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रकट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है.

अत: मैं, ए. के. मिंज, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अंबिकापुर, छ. ग. सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04 मई 2012 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पहाड़ी कोरवा पंजा दरी बुनकर सहकारी संस्था मर्या., पहाड़ चिरगा को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूं.

समिति का कार्य समेटने के लिए छ. ग. सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये श्री एफ. एक्का, स. वि. अ., लुण्ड्रा को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया.

अंबिकापुर, दिनांक 28 सितम्बर 2012

[छ. ग. सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परिसमापन/2012/908.— संस्कृति बुनकर सहकारी समिति मर्या., खाला, पंजीयन क्रमांक 2109, दिनांक 03-09-2004 को इस कार्यालय के सूचना क्रमांक परिसमापन/2012/840 अंबिकापुर दिनांक 07-09-2012 के द्वारा छ. ग. सहकारी अधिनियम सोसाईटी 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत "कारण बताओ सूचना - पत्र" दिया गया था, निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने के उपरांत भी समिति की ओर से कोई उत्तर/स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रकट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है.

अत: मैं, ए. के. मिंज, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अंबिकापुर, छ. ग. सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04 मई 2012 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये संस्कृति बुनकर सहकारी समिति मर्या., खाला को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूं.

समिति का कार्य समेटने के लिए छ. ग. सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये श्री एच. एच. यादव, स. वि. अ., अंबिकापुर को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी.

ए. के. मिंज,
उप पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बालोद

बालोद, दिनांक 29 सितम्बर 2012

क्रमांक/उपंबा/परिसमापन/2012/78.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत मां पहाड़ी वाला, बुनकर सहकारी समिति मर्या., जाटादाह, पंजीयन क्र. 2957, दिनांक 06-12-2010 विकासखण्ड डौण्डी लोहारा जिला बालोद को समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना पत्र कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/परिसमापन/2011-12/52 बालोद दिनांक 12-09-2012 को जारी किया गया था. जवाब प्रस्तुत करने हेतु संस्था को 15 दिवस का समय दिया गया था. परंतु समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है, इससे प्रगट होता है. कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं, जॉन खलखो, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ /5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मां पहाड़ी वाला बुनकर सहकारी समिति मर्या., जाटादाह, पंजीयन क्रमांक 2957 दिनांक 06-12-2010 विकासखंड डौण्डी लोहारा जिला बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूं.

अत: समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये श्री मनोज कुमार पाल, सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. डौण्डी लोहारा को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 29 सितम्बर 2012

क्रमांक/उपंबा/परिसमापन/2012/79.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत मां शीतला बुनकर सहकारी समिति मर्या., गैंजी, पंजीयन क्र. 2956, दिनांक 06-12-2010 विकासखण्ड डौण्डी लोहारा जिला बालोद को समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण बताओ सूचना पत्र कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/परिसमापन/2011-12/52 बालोद दिनांक 12-09-2012 को जारी किया गया था. जवाब प्रस्तुत करने हेतु संस्था को 15 दिवस का समय दिया गया था. परंतु समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है, इससे प्रगट होता है. कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं, जॉन खलखो, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की.अधिसूचना क्रमांक/एफ /5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मां शीतला बुनकर सहकारी समिति मर्या., गैंजी , पंजीयन क्रमांक 2956 दिनांक 06-12-2010 विकासखंड डौण्डी लोहारा जिला बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूं.

अत: समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये श्री मनोज कुमार पाल, सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. डौण्डी लोहारा को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर एव पद मुद्रा से जारी किया गया

बालोद, दिनांक 29 सितम्बर 2012

क्रमांक/उपंबा/परिसमापन/2012/80.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत आदिवासी बुनकर सहकारी समिति मर्या., लिमोरा, पंजीयन क्र. 2872, दिनांक 10-04-2008 विकासखण्ड बालोद, जिला बालोद को समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना पत्र कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/परिसमापन/2011-12/52 बालोद दिनांक 12-09-2012 को जारी किया गया था. जवाब प्रस्तुत करने हेतु संस्था को 15 दिवस का समय दिया गया था. परंतु समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है, इससे प्रगट होता है, कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं, जॉन खलखो, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये आदिवासी बुनकर सहकारी समिति मर्या., लिमोरा, पंजीयन क्रमांक 2872 दिनांक 10-04-2008 विकासखंड बालोद, जिला बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूं.

अत: समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये श्री आर. के. यादव, सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. बालोद को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया

जॉन खलखो,
सहायक रजिस्ट्रार.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जांजगीर जिला-जांजगीर-चांपा

जांजगीर, दिनांक 28 सितम्बर 2012

छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (1) के अंतर्गत

क्रमांक/उ. प. जा./परि./1106.— स्वास्तिक बुनकर सहकारी समिति मर्या., कुरदा (चांपा), पं. क्र. 118 के निर्वाचन हेतु आदेश क्र. 817 दिनांक 20-7-12 को जारी किया गया था, किन्तु सोसायटी द्वारा निर्वाचन अधिकारी को सदस्यों की सूची उपलब्ध नहीं कराई गई. निर्वाचन अधिकारी द्वारा सूचित किया गया है कि सोसायटी पूर्णत: अकार्यशील एवं निष्क्रिय है.

सोसायटी के आडिट टीप में भी निष्क्रिय और अकार्यशील होने की टीप अंकेक्षक द्वारा अंकित है. सोसायटी को इस संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया किन्तु सोसायटी द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया.

अत: स्पष्ट है कि सोसायटी के सदस्य गण, सोसायटी को बनाए रखते एवं चलाने में कोई रूचि नहीं रखते.

अत: मैं, श्रीमति एम. एम. पांडेय, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जांजगीर छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिनियम क्र. एफ 15-19/02/2012/03 दिनांक 4-5-2012 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ऊपर दर्शित कारणों से स्व. बुन. सह. समिति कुरदा पं. क्र. 118 को परिसमापन में लाए जाने का आदेश पारित करता हूं. एवं श्री ए. के. अग्निहोत्री पद सह. निरी. को सोसायटी का परिसमापक नियुक्ति करता हूं.

उक्त आदेश आज दिनांक 28-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

जांजगीर, दिनांक 28 सितम्बर 2012

छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (1) के अंतर्गत

क्रमांक/उ. प. जा./परि./1106.— सूर्ता बुनकर सहकारी समिति मर्या., चोरिया, पं. क्र. 43 के निर्वाचन हेतु आदेश क्र. 817 दिनांक 20-7-12 को जारी किया गया था, किन्तु सोसायटी द्वारा निर्वाचन अधिकारी को सदस्यों की सूची उपलब्ध नहीं कराई गई. निर्वाचन अधिकारी द्वारा सूचित किया गया है कि सोसायटी पूर्णत: अकार्यशील एवं निष्क्रिय है.

सोसायटी के आडिट टीप में भी निष्क्रिय और अकार्यशील होने की टीप अंकेक्षक द्वारा अंकित है. सोसायटी को इस संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया किन्तु सोसायटी द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया.

अत: स्पष्ट है कि सोसायटी के सदस्य गण, सोसायटी को बनाए रखते एवं चलाने में कोई रूचि नहीं रखते..

अत: मैं, श्रीमति एम. एम. पांडेय, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जांजगीर छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिनियम क्र. एफ 15-19/02/2012/03 दिनांक 4-5-2012 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ऊपर दर्शित कारणों से सुती बुन. सह. समिति चोरिया, पं. क्र. 43 को परिसमापन में लाए जाने का आदेश पारित करता हूं. एवं श्री ए. के. अग्निहोत्री, पद सह. निरी. को सोसायटी का परिसमापक नियुक्ति करता हूं.

उक्त आदेश आज दिनांक 28-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

जांजगीर, दिनांक 28 सितम्बर 2012

छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (1) के अंतर्गत

क्रमांक/उ. प. जा./परि./1106.— सर्वोदय बुनकर सहकारी समिति मर्या., अड़भार, पं. क्र. 477 के निर्वाचन हेतु आदेश क्र. 817 दिनांक 20-[illegible]-12 को जारी किया गया था, किन्तु सोसायटी द्वारा निर्वाचन अधिकारी को सदस्यों की सूची उपलब्ध नहीं कराई गई. निर्वाचन अधिकारी द्वारा सूचित किया गया है कि सोसायटी पूर्णत: अकार्यशील एवं निष्क्रिय है.

सोसायटी के आडिट टीप में भी निष्क्रिय और अकार्यशील होने की टीप अंकेक्षक द्वारा अंकित है. सोसायटी को इस संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया किन्तु सोसायटी द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया.

अत: स्पष्ट है कि सोसायटी के सदस्य गण, सोसायटी को बनाए रखते एवं चलाने में कोई रूचि नहीं रखते.

अत: मैं, श्रीमति एम. एम. पांडेय, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जांजगीर छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिनियम क्र. एफ 15-19/02/2012/03 दिनांक 4-5-2012 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपर दर्शित कारणों से सर्वो. बनु. समिति अड़भार, पं. क्र. 477 को परिसमापन में लाए जाने का आदेश पारित करता हूं. एवं श्री आर. के. आयाम, पद सह. निरी. को सोसायटी का परिसमापक नियुक्ति करता हूं.

उक्त आदेश आज दिनांक 29-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया हैं.

एम. एम. पाण्डेय,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2012.